

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0)
खण्ड कर्णप्रयाग**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 1392 / चार-प्रावि0 / वनभूमि पत्रा0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2023-24, दिनांक 26 / 03 / 2024
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विशय:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लामबगड (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग हेतु 2.4165 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/27736/2017)।

सन्दर्भ:- 1:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के कार्या0 पत्रांक 8बी/यू0सी0 पी0 / 06 / 146 / 2019 / एफ0सी0 / 78, दिनांक 13.05.2020
2:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के पत्रांक 2081 / FP/UK/ROAD/27736/2017, दिनांक 06.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लामबगड (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 372, दिनांक 10.08.2020 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गई।

अवगत कराना है, उक्त अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड द्वारा अपने उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रेषित की गई थी। जिस पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0 / 06 / 146 / 2019 / एफ0सी0 / 2376, दिनांक 26.02.2021 द्वारा निम्नानुसार कतिपय कमियां इंगित की गई है।

क्र0 स0	बिन्दु संख्या	अनुपालन आख्या
1	Point wise reply to the conditions of the stage-1 approval has not been submitted. State Govt. may submit the point wise reply to the all conditions of stage-1 approval letter dated 13-05-2020.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.05.2020 को निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार शर्तों के सापेक्ष खण्ड द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 372, दिनांक 10.08.2020 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः छायाप्रति संलग्न है।
2	The serial numbers of conditions mentioned in the compliance report are not matching with stage-1 approval. State Government may submit clarification in this regard and make necessary corrections	उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

क्रमश.....2

(2)

क्र०स०	बिन्दु संख्या	अनुपालन आख्या
0		
3	Compliance to Condition No. 06 & 08 has not been submitted. Which may be done.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना हैं
4	It is seen that the amount of deposited for CA scheme in CAMPA fund is more than the amount proposed amount. State Government may submit the CA scheme of Rs. 16,32,982.00.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक 3674/12-1, दिनांक 16.05.2020 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रू० 16,32,982.00 एवं एन०पी०वी० की धनराशि रू० 15,87,641.00 जमा किये जाने हेतु मॉगपत्र इस विभाग को प्रेषित किया गया था (छायाप्रति संलग्न), जिसके अनुसार ही विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं उसके 07 से 10 वर्षों के रखरखाव हेतु रू० 16,32,982.00 एवं एन०पी०बी० की धनराशि रू० 15,87,641.00 कुल रू० 32,20,623.00 CAMPA की खाते में जमा किये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त आपके कार्यालय पत्रांक मा० 1405/12-1, गोपेश्वर, दिनांक 05.09.2023 द्वारा पूर्व में त्रुटिवंश **कम एन०पी०बी० (रू० 15,87,641.00)** की मॉग प्रेषित किये जाने के कारण उक्त धनराशि रू० 20,41,943.00 के स्थान पर रू० 15,87,641.00 मात्र जमा की गई। जिसकी पूर्व गणना के आधार पर कम जमा की गई धनराशि रू० 4,45,302.00 मात्र **RTGS के माध्यम से खाता संख्या-150896121220362, Union Bank of India, Mission Road, Bengaluru में जमा की जा चुकी है (साक्ष्य संलग्न)।**

अतः अनुरोध है, कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार पूर्व प्रेषित अनुपालन आख्या / संशोधित एन०पी०वी० जमा करने सम्बन्धी पत्र।

भा० दीय,

अधिसासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 148 / चार-प्रावि०/वनभूमि पत्रा०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2021-22,
सेवा में,

दिनांक 02/05/2022,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लामबगड (नैल बैंड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग हेतु 2.4165 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/27736/2017)।

सन्दर्भ:- 1:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी० पी०/०6/146/2019/एफ०सी०/78, दिनांक 13.05.2020
2:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के पत्रांक 2081/FP/UK/ROAD/27736/2017, दिनांक 06.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लामबगड (नैल बैंड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 372, दिनांक 10.08.2020 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गई।

अवगत कराना है, उक्त अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड द्वारा अपने उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रेषित की गई थी। जिस पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०6/146/2019/एफ०सी०/2376, दिनांक 26.02.2021 द्वारा निम्नानुसार कतिपय कमियां इंगित की गई है।

क्र०स०	बिन्दु संख्या	अनुपालन आख्या
1	Point wise reply to the conditions of the stage-1 approval has not been submitted. State Govt. may submit the point wise reply to the all conditions of stage-1 approval letter dated 13-05-2020.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.05.2020 को निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार शर्तों के सापेक्ष खण्ड द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 372, दिनांक 10.08.2020 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः छायाप्रति संलग्न है।
2	The serial numbers of conditions mentioned in the compliance report are not matching with stage-1 approval. State Government may submit clarification in this regard and make necessary corrections	उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

(2)

क्र०स०	बिन्दु संख्या	अनुपालन आख्या
3	Compliance to Condition No. 06 & 08 has not been submitted. Which may be done.	शर्त संख्या 06:—State Government will review the density and NPV keeping in the view the 177 number of the trees per Hectare. शर्त संख्या 08:—DFO Will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA Area. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 06 एवं शर्त संख्या 08 पर कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से की जानी है।
4	It is seen that the amount of deposited for CA scheme in CAMPA fund is more than the amount proposed amount. State Government may submit the CA scheme of Rs. 16,32,982.00.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक 5247/12-1, दिनांक 18.04.2022 द्वारा प्राप्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना का संशोधित आंगणन रु० 16,32,982.00-मात्र <u>मूल में संलग्न</u> है।

अतः उक्तानुसार इंगित कमियों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कष्ट करें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार संशोधित वृक्षारोपण योजना का आंगणन।

भक्तदीय,

अधिशक्ती अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1:— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।
- 2:— अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० गोपेश्वर (मु०गौचर)।

अधिशक्ती अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 372 / चार-प्रावि०/वनभूमि पत्रा०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2020-21,
सेवा में,

दिनांक 10 / 08 / 2020,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-17 के अन्तर्गत लामबगड (नैल बैंड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.4165 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्ष०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी० पी०/०६/146/2019/एफ०सी०/78, दिनांक 13.05.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा लामबगड (नैल बैंड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार तीन प्रतियों में आपकी सेवा में विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

क्र० सं०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.843 है० अवनत वनभूमि नागनाथ रेंज, चालोडाण्डा कक्ष संख्या 3 ए पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजापतियों की एकल कृषि से बचें।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुपेक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में LA नम्बर 556, दि० 30.10.2002, 01.08.2003.28.03.2008. 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी०, दिनांक 03.10.2006 एवं 5:3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.4165 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7 से 10 वर्षों तक रखरखाव एवं एन०पी०बी० की देय धनराशि मु० 32,20,623.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दि० 06.08.2020 द्वारा Carporation Bank, Lodhi Comlex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन०पी०बी० की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन०पी०बी० की धनराशि किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।

(2)

क्र० स०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
6	State Govtment will review the density and NPV keeping in view the 177 number of trees per hectare.	
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 240 trees तथा 187 saplings होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 07 के अनुपालन में मोटर मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा। उक्त मार्ग के संरेखण में पेड़ों की कटाई की लागत की धनराशि पृथक से वन विभाग के पास जमा कर दी जायेगी।
8	DFO Will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
9	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	शर्त मान्य है।
11	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त मान्य है।
13	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मान्य है।
14	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त मान्य है।
15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
18	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रयाप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
19	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
20	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
21	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
22	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
23	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
24	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC, दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।

(3)

क्र० स०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
25	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मान्य है।


अतः अनुरोध है, कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।


भवदीय,

अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रखण्ड कर्णप्रमाण।

"प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा भविष्य में लामबगड (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग पर यदि एन0पी0बी0 की दरों में वृद्धि की जायेगी तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।


अधिसासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।



PARIVESH
परिवेश

Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub

My Account > My Proposals Environment Clearance > Only CRZ Clearance > My Proposals Forest Clearance > My Proposals Wildlife Clearance >

Online payment history made by User Agency

Help

o.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)
	Construction of Lambagad (Nailbend)to Jhoomakhet Link Motor road under PMGSY	ROAD277362017656	6127736656	13 May 2020	CA: 1632982/- Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 1587641/- Other Cha: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 3220623/-
	Construction of Bungidhar Mehachauri bacchuwaban Motor Road km-12 to kolani link Motor road	ROAD383642019276	6138364276	29 May 2020	CA: 1871371/- Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 2344875/- Other Cha: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 4216246/-
	FP/UK/ROAD/21220/2016 construction of Bakrya Bend to Chhimta link Motor Road under PMGSY.	ROAD212202016097	6121220097	13 Mar 2020	CA: 0/- Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 2789768/- C.A.: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 4814405/-

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &

CLIMATE CHANGE

REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)

25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं०:- 8बी./यू.सी.पी./06/146/2019/एफ0 सी0 / 78

दिनांक: 13/05/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद-चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लामबगड़ (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 2.4165 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/27736/2017)

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 395/1

जी-FP/UK/ROAD/27736/2017 दिनांक 31-07-2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/27736/2017 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड द्वारा ऑनलाईन प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार - जनपद - चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लामबगड़ (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 2.4165 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.843 हे० अवनत वन भूमि नागनाथ रेंज, कालोडाण्डा कक्ष संख्या 3 ए पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.4165 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक समथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. State Government will review the density and NPV keeping in view the 177 number of trees per hectare.
 7. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 240 trees तथा 187 saplings होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
 8. DFO will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.
 9. State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
 10. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
 11. एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
 12. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
 13. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
 14. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनवीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।
 15. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
 16. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
 17. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
 18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
 19. संबंधित प्रभागिय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
 20. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
 21. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
 22. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
 23. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
 24. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
 25. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
 26. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic-in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भुवदीया
 (सन्नी चौधरी)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

/ 12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 28-8-2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।



विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-17 के अन्तर्गत लामबगड (नैल बैंड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.4165 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी० १०/०६/१४६/२०१९/एफ०सी०/७८, दिनांक 13.05.2020

महोदय,

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है:-

क्र० सं०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.843 है० अवनत वनभूमि नागनाथ रेंज, कालोडाण्डा कक्ष संख्या 3 ए पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजापतियों की एकल कृषि से बचें।	शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त मान्य है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में L.A. नम्बर 556, दि० 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी०, दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण ने इस प्रस्ताव के तहत 2.4165 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य टसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7 से 10 वर्षों तक रखरखाव एवं एन०पी०बी० की देय धनराशि मु० 32,20,623.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दि० 06.08.2020 द्वारा Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।

ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।
6	State Govtment will review the density and NPV keeping in view the 177 number of trees per hectare.	प्रस्तावित संरक्षणा में 0-10 व्यास वर्ग के छोट-छोट 187 वृक्ष हैं तथा 240 वृक्ष 0-10 व्यास वर्ग के हैं जिसके सापेक्ष एन0पी0वी0 का घनत्व 0.3 का आगणन किया गया।
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 240trees तथा 187 saplings होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 07 के अनुपालन में मोटर मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा। उक्त मार्ग के संरक्षण में पेड़ों की कटाई की लागत की धनराशि पृथक से वन विभाग के पास जमा कर दी जायेगी।
8	DFO Will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.	प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	State Govt. will inform to this office if they pass any order for thee cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	मान्य है।
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	शर्त मान्य है।
11	एफ0आर0ए0.2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त मान्य है।
13	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मान्य है।
14	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त मान्य है।
15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
18	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रयाप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
19	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
20	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
21	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
22	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।

23	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
24	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC, दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
25	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मान्य है।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग पी0एम0जी0एस0वाई कर्णप्रयाग के पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विशयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 933 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग पी0एम0जी0एस0वाई कर्णप्रयाग को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

जबलपुर/अस
05/09/2020
अस

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- 5247 / 12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 15/4/2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,

ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0)

प्रखण्ड कर्णप्रयाग

विषय:-

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गई क्षतिपूरक धनराशि के प्राक्कलन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

आपका का पत्रांक 701/ चार-प्रा0वि0/वन भूमि/2022- दिनांक 23-12-2021


महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है, आपके द्वारा निम्नोक्त प्रस्तावों के विरुद्ध क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशियों से सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर आपको अग्रतः कार्यावाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

क्र0सं0	परियोजना का नाम	वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (है0में)	दर प्रति है	जमा की गई धनराशि
1	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना के अन्तर्गत बूगीधार भैहलचौरी बछुवाबाण मोटरमार्ग किमी0 42.00 से देवपुरी लिंक मोटर मार्ग हेतु 4.98 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।	9.96	3,37,184.00	33,58,352.00
2	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-14 के अन्तर्गत जंगलचट्टी (खेती) से सिराणा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.975 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन	5.95	2,53,332.00	15,07,325.00
3	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लामबगड (नैलबैण्ड) से झूमाखेत (कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4165 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।	4.843	3,37,184.00	16,32,982.00
4	जनपद चमोली में बूगीधार-मैहलचौरी-बछुवाबाण मोटर मार्ग कि.मी. 12 से कोलानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.775 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।	5.55	3,37,184.00	18,71,371.00
5	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 है0 (पूर्व में 4.72 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।	6.6050.00	3,06,531.00	20,24,637.00

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,



(इन्द्र सिंह बट्टी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लामबगड(नैलबैण्ड) से झुमाखेत(कुशरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम :- कालोंडांडा कं०सं०- 03(अ) में 04.843 है०।

रेंज :- नागनाथ रेंज।

प्रभाग का नाम:- केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।

क्षेत्रफल :- 04.843 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की सं० :-5327 पौध।

कंसं०	कार्य का विवरण (प्रथम वर्ष)	मात्रा	इकाई	इकाई दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन कार्य करना	4.843	है०	151.00	731.29
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	4.843	है०	5050.00	24457.15
3	दीवाल बन्दी (फैन्सिंग)	4.843	है०	28026.00	135729.92
4	भूमि एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान	4.843	है०	9859.00	47747.14
5	गद्दे खुदान (0.30X0.30X0.45) रेखांकन सहित	5327	सं०	9.34	49756.98
6	निरीक्षण बटिया बनाना	4.843	है०	600.00	2905.80
7	पौधों का मूल्य	5327	सं०	9.00	47945.70
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	4.843	है०	400.00	1937.20
9	अन्य कार्य	-	ल०स०	80000.00	80000.00
				कुल योग-	391211.18
द्वितीय वर्ष					391205.68
1	गद्दों का भरान (0.30X0.30X0.45)	5327	सं०	1.78	9482.59
2	पौधों का मूल्य	5327	सं०	2.00	10654.60
3	पौध का ढुलान कार्य	5327	सं०	11.00	58600.30
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी	5327	सं०	3.46	18432.46
5	निराई गुडाई व मल्विंग (दो बार)	5327	सं०	4.43	23599.94
6	खाद व दवा पर व्यय	4.843	है०	234.00	1133.26
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय 7 माह	4.843	है०	595.00	2881.59
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	4.843	है०	1190.00	5763.17
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना।	2.00	प्रति किमी०	450.00	900.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।	-	ल०स०	20000.00	20000.00

9	अन्य व्यय साईनबोर्ड पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट कय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार-प्रसार एवं डोक्यूमेंटेशन आदि कार्य	-	ल0स0	20000.00	20000.00
10	अन्य कार्य	-	ल0स0	80000.00	80000.00
				कुल योग-	251447.91
तृतीय वर्ष 10%					251441.11
1	पुनः गढढा खोदना व पौध रोपण कार्य	533	सं0	6.00	3196.38 3198.00
2	पौध का डुलान कार्य	533	सं0	13.00	6925.49 6929.00
3	पौधों की लागत	533	सं0	11.00	5860.03 5863.00
4	पौध निराई-गुडाई कार्य करना। प्रथम	5327	सं0	2.05	10920.97 35
5	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	4.84	है0	1190.00	5763.17 5763.17
	2.2 सुरक्षा दीवल के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना।	2.00	प्रति किमी0	450.00	900.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	-	ल0स0	72100.00	72100.00
6	रोपण वर्ष के उपरान्त अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.84	है0	595.00	34579.02
7	अन्य व्यय	4.84	है0	3500.00	16950.50
				कुल योग-	157203.04 157195.56
चतुर्थ वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	4.84	है0	595.00	2881.59
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	4.84	है0	595.00	34579.02
3	अन्य व्यय	-	-	ल0स0	80000.00
4	पौधों की निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	5327	सं0	2.05	10920.97 35
योग					128380.96 128381.57
पंचम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	4.84	है0	595.00	2881.59
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	4.84	है0	595.00	34579.02
3	अन्य व्यय	-	-	ल0स0	80000.00
योग					117460.61
षष्ठम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	4.84	है0	595.00	2881.59
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	4.84	है0	595.00	34579.02
3	अन्य व्यय	-	-	ल0स0	80000.00

44

योग					117460.61
सप्तम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	4.84 ³	है0	595.00	2881.59
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	4.84 ³	है0	595.00	34579.02
3	अन्य व्यय	-	-	ल0स0	80000.00
योग					117460.61
अष्टम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	4.84 ³	है0	595.00	2881.59
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	4.84 ³	है0	595.00	34579.02
3	अन्य व्यय	-	-	ल0स0	80000.00
योग					117460.61
नवम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	4.84 ³	है0	595.00	2881.59
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	4.84 ³	है0	595.00	34579.02
3	अन्य व्यय	-	-	ल0स0	80000.00
योग					117460.61
दशम वर्ष					
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	4.84 ³	है0	595.00	2881.59
2	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	4.84 ³	है0	595.00	34579.02
3	अन्य व्यय	-	-	ल0स0	80000.00
योग					117460.61
महा योग					1632994.45
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत					16,32,994.00 या 1632999.84

किन्तु सीलिंग के अनुसार देय कुल = 3,37,184.00 x 4.843

= 16,32,982.00/-

जांच किया रूपये 16,32,982.00 मात्र के लिए।

Prakash Kumar
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

Prakash Kumar
प्रभागीय वन्यजीविकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

Prakash Kumar
वन क्षेत्राधिकारी
नागनाथ वन क्षेत्र नागनाथ
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०)
खण्ड कर्णप्रयाग**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक **1314** / चार-प्रावि०/वनभूमि पत्रा०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2023-24,
सेवा में,

दिनांक 01/02/2024,

मुख्य अभियन्ता,
यू०आर०आर०डी०ए०
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-17 के अन्तर्गत लामबगड़ (नैलबैण्ड) से झूमाखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4165 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 1:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/06 /146/2019/एफ०सी०/78, दिनांक 13.05.2020 (छायाप्रति संलग्न)।
2:- प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग गोपेश्वर के कार्यालय पत्रांक मान०/1405/12-1, गोपेश्वर दिनांक 05.09.2023 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग गोपेश्वर के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें उनके द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में आरोपित शर्त संख्या 05 (क) के अनुसार उक्त प्रस्ताव के तहत 2.4165 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य $2.4165 \times 845000.00 = 20,41,943.00$ होनी थी, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग द्वारा पूर्व में त्रुटिवंश **कम एन०पी०बी० (रु० 15,87,641.00)** की माँग प्रेषित किये जाने के कारण उक्त धनराशि रु० 20,41,943.00 के स्थान पर रु० 15,87,641.00 मात्र जमा की गई।

महोदय, खण्ड द्वारा विविधत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या प्रेषण के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग द्वारा त्रुटिवंश उक्त धनराशि की गणना भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.01.2022 द्वारा एन०पी०बी० की पुनरीक्षित दरों के आधार पर किये जाने के कारण **रु० 15,36,531.00 मात्र अतिरिक्त धनराशि की माँग** इस खण्ड को प्रेषित की गई। खण्ड द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग से वार्ता के उपरान्त उनके द्वारा वर्तमान में पूर्व गणना के आधार पर कम जमा की गई धनराशि रु० 4,54,302.00 मात्र जमा किये जाने हेतु माँगपत्र इस खण्ड को प्रेषित किया गया है।

महोदय, उपरोक्तानुसार रु० 4,54,302.00 मात्र $(20,41,943.00 - 15,87,641.00 = 4,54,302.00)$ अतिरिक्त एन०पी०बी० की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा किये जाने है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के क्रम में एन०पी०बी० की अवशेष धनराशि रु० 4,54,302.00 मात्र को क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा करवाने का कष्ट करें, ताकि शीघ्र विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सकें।

संलग्न:- उक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति का पत्र/
प्रभागीय वनाधिकारी का सन्दर्भित पत्र एवं चालान की प्रति।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग।

(2)

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

- 1:— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी देहरादून।
- 2:— अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त गोपेश्वर (मु० गौचर)।
- 3:— प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग गोपेश्वर (चमोली)।

अधिसासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone @ Fax No 01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:—मान0 1405 / 124 गोपेश्वर,

दिनांक 05 [09] 2023

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
(पी0एम0जी0एस0वाई0) प्रखण्ड कर्णप्रयाग

विषय:— जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लामबगड से (नैल बैंड) से झूमाखेत (कुसरानी मल्ली) लिंक मोटर मार्ग हेतु 2.4165 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:— इस कार्यालय का पत्रांक 876/12-1, दिनांक 18-08-2022।

महोदय,

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपको एन0पी0वी0 की अवशेष धनराशि रू0 31,24,172.00 - रू0 15,87,641.00 = रू0 15,36,531.00 कैम्पा कोष में जमा करने हेतु अनुरोध किया गया था, के क्रम में अवगत करना है कि उक्त अवशेष धनराशि का आगणन त्रुटिवश भारत सरकार द्वारा 19.01.2022 को जारी एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित दरों के आधार पर किया गया था। किन्तु उक्त विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति वर्ष 2020 में प्राप्त होने के कारण एन0पी0वी0 की अवशेष धनराशि का आगणन तत्कालीन दरों के आधार पर $2.4165 \times 8,45,000.00 = 20,41,943.00$ रू0 होता है। अतः एन0पी0वी0 की अवशेष धनराशि रू0 20,41,943.00 - रू0 15,87,641.00 = रू0 4,54,302.00 कैम्पा कोष में जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

S.R.(T)

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
A Government of India Undertaking



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-03-2024

Agency Name.	RES PMGSY KARANPERAYAG
Application No.	6127736780
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/146/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Karanprayag Chamoli
Amount(in Rs)	454302/-

Amount in Words :Four Lakh Fifty-Four Thousand Three Hundred and Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896127736780 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
A Government of India Undertaking



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-03-2024

Agency Name.	RES PMGSY KARANPERAYAG
Application No.	6127736780
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/146/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Karanprayag Chamoli
Amount(in Rs)	454302/-

Amount in Words :Four Lakh Fifty-Four Thousand Three Hundred and Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896127736780 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank



Mailbox of eepmgsykaranprayag1

Subject: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

From: monitoring-fc@nic.in on Thu, 29 Feb 2024 17:59:08

To: eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

Cc: monitoring-fc@nic.in

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Proposal Detail

1. Proposal No.	: FP/UK/ROAD/27736/2017
2. Proposal Name	: Construction of Lambagad (Nailbend)to Jhoomakhet Link Motor road under PMGSY
3. Category of the Proposal	: Road
4. Date of In-principle	: 22/02/2019
5. Name of the Applicant with Contact Details	
Name	: RES PMGSY KARANPERAYAG
Mobile No.	: 7895282436
Email ID	: eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com
State	: Uttarakhand
District	: Chamoli
Pincode	: 246444

Funds Demand Details

1. Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
2. Additional Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
3. Penal Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
4. Catchment Area Treatment	: Rs. 0/-
5. Safety Zone	: Rs. 0/-
6. Additional Charges for protected area	: Rs. 0/-
7. Net Present Value (NPV)	: Rs. 454302/-
8. Other Charges	: Rs.0/-
9. Other Charges1	: Rs.0/-
10. Other Charges2	: Rs.0/-
11. Other Charges3	: Rs.0/-
Total Amount	: Rs. 454302/-

User Agency is requested to make above mentioned payment after generating challan through the system.

(System Administrator)

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/27736/2017 Construction of Lambagad (Nailbend)to Jhoomakhet Link Motor road under PMGSY	ROAD277362017780	6127736780	13 May 2020	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 454302/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 454302/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 29 Feb 2024 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 01 Mar 2024 Transaction Date : 15 Mar 2024	Demand Letter Generated Challan
2	FP/UK/ROAD/21220/2016 construction of Bakriya Bend to Chhimta link Motor Road under PMGSY.	ROAD212202016362	6121220362	13 Mar 2020	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 845/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 845/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 10 Jul 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 19 Feb 2024 Transaction Date : 13 Dec 2023	Demand Letter Generated Challan
3	FP/UK/ROAD/10762/2015 Construction of Punjidhar Mahalekauri	ROAD107622015741	6110762741	22 Jan 2018	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 26 May 2023 Bank Name : Union Bank Of India	Demand Letter Generated Challan